न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–11/2017

CIS NO. TS 11/2017

हरख नारायण साह एवं अन्य...,,,,,..............................वादी

बनाम

बिपत दिसवा एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
21.03.2025	उभय पक्ष की पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–04 (क) मु0 रूकमणी देवी, 04 (ख) अजय कुमार, 04 (ग) शैलजा कुमारी (नाबालिग) गार्जियन माता मु0 रूकमणी देवी वो 04 (घ) मनोरमा देवी की ओर से दाखिल आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2025 अंदर धारा–151 व्य0प्र0सं0 एवं धारा–5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सुनवाई हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 21.03.2025 में कहा गया है कि प्रतिवादी सं0–01 तथा 09 दिनांक 14.09.2017 को अपने बयान तहरीरी न्यायालय में दाखिल किया है, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2017 को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0–01 ता 09 की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को ही प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–04 (क) ता 04 (घ) स्वीकार करते है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदन को स्वीकृत करते हुए बयान तहरीरी को ग्रहण करने का अनुमति दिया जाए। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से आवेदन का विरोध किया गया तथा खारिज होने योग्य बताया। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया।	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–11/2017

CIS NO. TS 11/2017

हरख नारायण साह एवं अन्य...,,,,,...............................वादी

बनाम

बिपत दिसवा एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 21.03.2025	अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। प्रतिवादी सं0–01 ता 09 तक दिनांक 14.09.2017 को अपना बयान तहरीरी दाखिल किए है। प्रतिस्थापित प्रतिवादी 04 (क) ता 04 (घ) प्रतिवादी सं0–04 का विधिक वारिसान है तथा इस वाद में संघर्ष करना चाहते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 21.03.2025 को मो0 500/– रूपया खर्चे पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिस्थापित प्रतिवादी को बयान तहरीरी करने का अनुमति दी जाती है। आगामी दिनांक 09.04.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	